न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर ए एस

अपील संख्या 180/2016

ज्याणी देवी पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी 36 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

––अपीलार्थी

बनाम

1. अंग्रेजसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति जटसिख निवासी 35 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर ।

–––रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, रायसिंहनगर

दिनांक 04.05.2016

उपस्थिति

श्री राजाराम पूनिया, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री सोहनलाल जोशी अभिभाषक रेस्पों. सं. 1

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः– 11.08.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 एक प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी, रायसिंहनगर के समक्ष दिनांक .5.03.2013 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक खाटा बारानी के मु.न. 137 प.न. 265/289 की 12.10 बीघा भूमि का कब्जा नियमन किया जाकर पुख्ता आवंटन किया जावें । प्रार्थना पत्र

11/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रस्तुत होने पर तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त करने के आदेश दिये गये । तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर ने दिनांक 04.05.2016 को प्रार्थी/रेस्पो.1 को चक 35 पीएस के मु.न. 137 प.न. 269/289 की 3.162 है. भूमि को आवंटन का पात्र घोषित करते हुए पत्रावली आवंटन सलाहाकार कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने के आदेश दिये गये। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीया ने यह अपील पेश की है।

वकी रेस्पो. ने दिनांक 30.08.2016 को प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ पी 14 सम्वत् 2073 सन् 2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की । उक्त प्रार्थना का जबाव वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। चूंकि प्रा.पत्र के साथ जो दस्तावेज पेश किया गया है वह लोक दस्तावेज एवं लोक सेवक द्वारा जारी किया गया है। जिसके संदिग्ध होने का अन्देशा नहीं होने से प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील मीमों ही उसकी बहस मानकर गुणावगुण के आधार पर अपील का निर्णय करने का निवेदन किया वही रेस्पो. के विद्वान अभिभाषक द्वारा जाहिर किया कि रेस्पो. को निर्णय में भूमि नियमन का पात्र घोषित किया है जबकि आवंटन प्रकिया पूर्ण होना बाकी है । अतः अधी. न्यायालय का निर्णय दिनाक 04.05.2016 अन्तरिम आदेश तथा पात्रता के आधार पर होने वाला आवंटन आदेश अन्तिम आदेश होगा । अतः सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार अन्तरिम आदेश की अपील Lie नहीं हो सकती । अतः तकनीकी आधार पर अपील खारिज योग्य है। रेस्पो. अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि बहैसियत अतिक्रमी रकबा राज की भूमि राज्य सरकार के परिपत्रों के निर्देशानुसार रेस्पो.अतिक्रमित भूमि को नियमित करवाने का पात्र है, में अपीलार्थी की कोई Locus standai नहीं बनती है। अपीलांट ने अपने claim को साबित करने के लिए नियमन का कोई आवेदन पत्र आवेदन के समर्थन में दस्तावेज शपथ पत्र पेश नहीं किये जो परीक्षणोंपरान्त अगर खारिज होता तो वह appeallable आदेश हो सकता है वह

11/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट रेकार्ड से परे नहीं हो सकती जो रेस्पो. की नियमन की पात्रता का आधार है ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन करने एवं रेकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात रेस्पो. के कथनों, तर्को से असहमत होने का कोई कारण उपलब्ध नहीं होने तथा अधी.न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय दिनांक 11.08.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/8/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर